प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा, अलीगढ, आजमगढ, बुलन्दशहर, बहराइच, बरेली, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, लखीमपुर–खीरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, वाराणसी, शाहजहॉपुर, रामपुर, सहारनपुर एवं पीलीभीत।

पत्रांकः–रा0स्वा0सं0/आई0डी0डी0/2017/ दिनांक 11/8/17

विषय– राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा राज्य के 24 जनपदों में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर आशाओं के कार्य/ भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) उत्तर प्रदेश में संचालित है। जिसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों को आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग, उसकी कमी से होने वाले दुष्परिणाम एवं आयोडीन की कमी दूर करने के उपाय के बारे में जागरूक करना है। इसी संदर्भ में प्रदेश के 24 इण्डेमिक जनपदों में आशाओं द्वारा नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच करना निर्धारित किया गया है।

आयोडीन एक आवश्यक पोषक तत्व है। जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा ही नही वरन बहरापन, गूँगापन, मानसिक विकृतियाँ तथा अपंगता जैसी व्याधियाँ भी होती है,जिनका निदान सम्भव नहीं है। उपरोक्त विकृतियों के बचाव हेतु नमक का सार्वभौमिक आयोडीनीकरण (USI-Universal Salt Iodisation) सर्वाधिक व्यवहारिक, प्रभावी एवं सस्ता उपाय है। सार्वभौमिक आयोडीनीकरण (USI) 1986 से कुछ क्षेत्रों में शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा 15 मई 2006 से आयोडीनरहित नमक की बिक्री एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गयी है।

उपभोक्ता स्तर पर प्रयोग किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा कम से कम 15 पी0पी0एम0 होना आवश्यक है, अतः प्रयोग किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा की जॉच किया जाना अनिवार्य है।

1– आशाओं द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में नमक की जॉचः–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है।

1.1 प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके द्वारा 50 घरों के नमक के नमूँनों की जॉच की जायेगी, जिसमें आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग हेतु जागरूकता एवं आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा सके, उक्त जाँचे सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर, आँगनबाडी केन्द्र, स्कूल तथा घरों में उपयोग किये जाने वाले नमक में की जायेगी।

1.2 प्रत्येक आशा को माह में कम से कम 50 घरों के नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच करना अनिवार्य है तथा उसके उपरान्त ही रू.25/= प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा।

1.3 उपकेन्द्रो/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सम्बन्धित आशा संगिनी/ ए0एन0एम0 के द्वारा प्रतिमाह आशा द्वारा किये गये नमक की जाँच के नमूनों का सत्यापन करने के पश्चात ही आशाओं को भुगतान किया जायेगा।

1.4 आशाओं द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर नमक के नमूनों की जॉच की मासिक रिपोर्ट उपकेन्द्र की आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के माध्यम से प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिले के नोडल अधिकारी (आई0डी0डी0) को प्रेषित की जायेगी, जो संकलित रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेगें।

1.5 जनपद के नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) द्वारा मासिक रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम अधिकारी (अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ) को ई–मेल adshi_lko@rediffmail अथवा adshi1972@ gmail.com पर प्राप्त कराते हुए हार्ड कॉपी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगें।

1.6 आशाओं द्वारा नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच की विधि :–

नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच "साल्ट टेस्टिंग किट" से होती है। इस किट का उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है :–

- सर्वप्रथम एक से दो चम्मच नमक लेना है, जिसमें 1–2 बूँद बडी सफेद रंग की शीशी से टेस्ट घोल को मिलाना है।
- इसके उपरान्त नमक में उपलब्ध आयोडीन की मात्रा के अनुसार,नमक का रंग हल्का नीला से गहरा स्याही में परिवर्तित हो जायेगा।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट के अनुसार नमक के रंग की तुलना करते हुए उसमें उपलब्ध आयोडीन की मात्रा राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्राप्त कराये गये रिपोर्टिग प्रारूप पर लिखें।
- न्यूनतम् स्वीकार योग्य आयोडीन की मात्रा उत्पादक स्तर पर 30 पी0पी0एम0 एवं उपभोक्ता स्तर पर 15 पी0पी0एम0 होनी चाहिए।

नमक अगर क्षारीय है या उसमें कोई क्षारीय केमिकल का मिश्रण है तो टेस्ट घोल मिलाने के उपरान्त भी नमक के रंग में कोई भी परिवर्तन नही होगा,जबकि उस नमक में आयोडीन मिला हो सकता है। इस स्थिति में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–

- 1–2 चम्मच नमक लें, उसमें 1 बूँद अम्लीय द्रव (पुनःजाँच) घोल छोटी शीशी से मिलायें।
- 1–2 बूँद टेस्ट घोल (सफेद बडी शीशी) मिलायें।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट से नमक के रंग में आये बदलाव की तुलना करें।

2–किट की आपूर्ति :–(एफ0एम0आर0 कोड D.04)

आशाओं को प्रतिमाह जनपदीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) के अर्न्तगत नियुक्त नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नमक के नमूँनों में आयोडीन की मात्रा की जाँच हेतु एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक साल्ट टेस्टिंग किट से लगभग 100 नमक के नमूनों की जाँच हो सकती हैं। अतः प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट दी जायेगी जिससे कि कार्य बाधित न हो और ससमय नमक के नमूनों की जाँच करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित की जा सके।

3–आशा प्रतिपूर्ति राशि :–(एफ0एम0आर0 कोड D.05.001)

आशा द्वारा किये जा रहे कार्यो के आधार पर उक्त अनुमोदित गतिविधि में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रतिपूर्ति राशियों कें ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेगी तथा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) को गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करेंगी।

आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधि (नमक नमूनों का परीक्षण) के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में रू. 25=00 प्रतिमाह (50 घरों के नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच) दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(वर्ष 2017–18 में एफ0एम0आर0 कोड D.6 से D.05.001 किया गया है कृपया भुगतान करते समय इसका घ्यान रखें)

आशा द्वारा विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की गयी गतिविधि (नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच) का विवरण आशा पेमेण्ट वाउचर में अंकित अन्य कालम अथवा इस हेतु चिन्हित कालम में किया जायेगा एवं इसका भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रेषित पत्र संख्या – एस0पी0एम0यू0/कम्यु. प्रो./विविध/2016–17/55/वाल्यूम–1/5341 दिनाँकः14.09.2016 के माध्यम से जारी दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

शीघ्र ही सप्लीमेंन्ट्री पी0आई0पी0 2017–18 भेजी जानी प्रस्तावित है। गत वर्ष की भाँति जनपद में आशाओं की संख्या के अनुसार साल्ट टेस्टिंग किट एवं आशा प्रोत्साहन राशि हेतु माँग–पत्र प्रेषित किया जायेगा। यदि किसी जनपद को अतिरिक्त साल्ट टेस्टिंग किट एवं आशा प्रोत्साहन राशि की आवश्यकता हो तो उनके द्वारा राज्य कार्यक्रम अधिकारी को ससमय फोन नम्बर 09454455157 एवं ई–मेल आई0डी0 adshi1972@gmail.com पर सूचित किया जाये।

4–रिकार्डिंग रिर्पोटिंग :–

यदि आशा द्वारा दिये गये नमक के नमूनों की जाँच के बाद उसके अंकन के लिये आशा डायरी में व्यवस्था नहीं है तो उसका अंकन राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–1) पर किया जायेगा। आशा द्वारा उक्त प्रारूप आशा संगिनी /ए0एन0एम0 को उपलब्ध करा दिया जायेगा। आशा संगिनी/ए0एन0एम0 द्वारा आशा के प्रपत्र के आधार पर संकलित रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2) पर प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक को माह की 25 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक द्वारा ब्लाक स्तर की सूचना माह की 30 तारीख तक नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–3) पर उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं नोडल अधिकारी द्वारा जनपद की संकलित रिपोर्ट प्रारूप(संलग्नक–4) पर अगले माह की 05 तारीख तक राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को उपलब्ध करा दी जाये। इस वर्ष 2017–18 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 कोड D.6 **के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा** जनपद स्तर पर जनपद के नमूनों की जाँच रिर्पोटिंग के प्रारूप के मुद्रण कराये जाने हेतु धनराशि अनुमोदित कर दी गयी है। वर्तमान में आपको रू0 5000=00 प्रति जनपद की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है जिससे रिर्पोटिंग प्रारूप मुद्रण कराया जाना है।

5–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :–

5.1 क्लस्टर बैठक में आशाओं को साल्ट टेस्टिंग किट से नमक के नमूनों की जाँच हेतु समस्त जानकारी दी जायेगी एवं जिन आशाओं द्वारा अच्छा कार्य किया जायेगा उनको प्रोत्साहित किया जायेगा।

5.2 भ्रमण के दौरान ब्लाक,जनपद एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा ए0एन0एम0 से आशाओं की नमक के नमूने की रिपोर्ट प्राप्त करके उनके द्वारा किये गये कार्य का समय–समय पर सत्यापन किया जायेगा।

6–प्रचार–प्रसार मद में अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) अन्तर्गत एफ0एम0आर0 कोड B.10.6.7 में प्रचार–प्रसार मद में अनुमोदित धनराशि से प्रति जनपद रू0 10000=00 की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग ग्लोबल आई0डी0डी0 दिवस (21st october) पर अधिक से अधिक विभागों के अधिकारियों व मीडिया प्रभारियों, एन0जी0ओ0 इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये प्रेस कान्फ्रेंस आयोजन में करेगें जिससे जनपद के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरूकता बढाई जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य भी इसी धनराशि से कराया जा सकते हैं।

7– वित्तीय व्यवस्था

1. आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
2. संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा।
3. किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. प्राविधानित धनराशि का व्यय आबंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।

5. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
6. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 पद्माकर सिंह)
महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0,लखनऊ।

पत्र संख्याः रा0स्वा0सं0/फ्लो0 /2017–18/ 9992 – 10,001(1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
7. वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

11/08/17

(डा0 नीरा जैन)
अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,

संलग्नक–1

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP)

आशा रजिस्टर के लिये प्रारूप

जिला का नामः..... ब्लाक का नामः..... कुल जनसंख्याः .....माहः.....

उपकेन्द्र का नामः ..... गाँव का नामः ..... आशा का नामः .....

क्रम सं0	गाँव का नाम	कुल परीक्षित नमक के नमूने	नमक मे आयोडीन का स्तर		
			0पी0पी0एम0	15 पी0पी0एम से कम	15 पी0पी0एम से ज्यादा
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
कुल					

संलग्नक–2

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP)

ए0एन0एम0 के लिये प्रारूप

जिला का नामः..... ब्लाक का नामः..... पी0एच0सी0 का नामः.....

उपकेन्द्र का नामः..... ए0एन0एम0 का नामः.....माहः .....

क्रम सं0	गाँव का नाम	कुल परीक्षित नमक के नमूने	नमक मे आयोडीन का स्तर		
			0पी0पी0एम0	15 पी0पी0एम से कम	15 पी0पी0एम से ज्यादा
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
कुल					

ए0एन0एम0 के हस्ताक्षर

संलग्नक–3

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP)

ब्लाक के लिये प्रारूप

जिला का नामः ..... ब्लाक का नामः .....माहः .....

ब्लाक एम0ओ0आई0सी0 का नामः .....

क्रम सं0	उपकेन्द्र का नाम	कुल परीक्षित नमक के नमूने	नमक मे आयोडीन का स्तर			कुल परीक्षित नमक के नमूने के सापेक्ष आशा को दी गई प्रोत्साहन राशि का विवरण (रू0 25 प्रतिमाह 50 नमक के नमूनों की जाँच के उपरान्त)
			'0' पी0पी0एम0	15 पी0पी0एम से कम	15 पी0पी0एम से ज्यादा	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
कुल						

ब्लाक एम0ओ0आई0सी0 के हस्ताक्षर

संलग्नक–4

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP)

जनपद के लिये प्रारूप

जिला का नामः..... नोडल अधिकारी का नामः .....माहः.....

क्रम सं0	ब्लाक का नाम	कुल परीक्षित नमक के नमूने	नमक मे आयोडीन का स्तर			कुल परीक्षित नमक के नमूने के सापेक्ष आशा को दी गई प्रोत्साहन राशि का विवरण (रू0 25 प्रतिमाह 50 नमक के नमूनों की जाँच के उपरान्त)
			'0' पी0पी0एम0	15 पी0पी0एम से कम	15 पी0पी0एम से ज्यादा	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
कुल						

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर